NSW GOVERNMENT

तथ्य-पत्र

SAFEWORK NSW

आधारभूत बातें: काम पर आपके अधिकार

ऑस्ट्रेलिया में काम पर स्वास्थ्य व सुरक्षा क़ानून

यदि आप कार्य के लिए अस्थाई कार्य वीज़ा धारक, स्थाई निवासी या ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं तो आप के लिए वही स्वास्थ्य व सुरक्षा क़ानून लागू होता है जो ऑस्ट्रेलिया में अन्य लोगों के लिए लागू होता है।

ऑस्ट्रेलिया में एक कर्मचारी होने के नाते आपके अधिकार होते हैं।

आपको बताए जाने का अधिकार कि आप सुरक्षापूर्वक कैसे काम कर सकते हैं

जब आप काम करना शुरू करें तो आपको बताया व सिखाया जाना चाहिए:

- जिस उपकरण को आप चलाएँगे उसका उपयोग करना दिखाना
- प्रशिक्षण देना कि उपकरण को सुरक्षापूर्वक कैसे उपयोग करते हैं
- आपके काम के लिए उचित सुरक्षा उपकरण देना। इसे निजी रक्षात्मक उपकरण [personal protective equipment (PPE)] कहते हैं। PPE अच्छी स्थिति में होना ज़रूरी है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसे कैसे उपयोग करते हैं व पहनते हैं।
- कार्यस्थल, जिसमें प्रवेश करने व बाहर जाने का रास्ता, सुविधाओं व प्राथमिक उपचार के स्थल शामिल हैं, दिखाना
- आपातस्थिति में बाहर निकलने के तरीक़ों के बारे में बताना
- आपके उस समय जो सुपरवाईज़र हैं उनसे, स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रतिनिधि व उन लोगों से मिलवाना जिनके साथ आप काम करेंगे
- लागू सुरक्षा नीतियों व कार्यविधियों के बारे में बताना जिनमें समस्याओं या चोट लगने के बारे में कैसे रिपोर्ट करना है, शामिल होना चाहिए
- कार्यस्थल में सुरक्षा संबंधी सबकी भूमिकाओं व ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करना

इसे कार्यस्थल प्रवेश-प्रशिक्षण कहते हैं। यदि इस प्रवेश-प्रशिक्षण के दौरान या काम करते समय कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता तो मदद के लिए अपने सुपरवाईज़र से पूछें। इसके बाद भी आपको कोई परेशानी है तो आपका स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रतिनिधि (HSR) आपकी मदद कर सकता है।

अपने विचार बताने का अधिकार

यदि किसी चीज़ के बारे में आपको पक्की तरह नहीं मालूम कि उसे सुरक्षापूर्वक कैसे करना है तो अपने सुपरवाईज़र से मदद या प्रशिक्षण के लिए कहें। जब भी आपको स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी कोई चिन्ता हो तो अपने सुपरवाईज़र या HSR से बात करें। यदि इन लोगों के जवाब से आप संतुष्ट न हों तो SafeWork NSW से 13 10 50 पर संपर्क करें। आप बात-चीत करने में आपकी मदद करने के लिए आप दुभाषिए के लिए निवेदन कर सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए:

- Lifeline 13 11 14
- Beyond Blue 1300 224 636

असुरक्षित काम करने से मना करने का अधिकार

आपको असुरक्षित काम करने से मना करने का अधिकार है। यदि आपसे ऐसे किसी काम को करने के लिए कहा जाता है जो आपको सुरक्षित नहीं लगता तो आप रुक कर अपने सुपरवाईज़र या HSR से बात करें।

हमारे साथ विचार-विमर्श किए जाने का अधिकार

विचार-विमर्श से लोगों को **काम संबंधी स्वास्थ्य व सुरक्षा** के बारे में हिस्सा लेने व एक दूसरे को जानकारी देने का अवसर मिलता है।

कर्मचारी मुआवज़े का अधिकार

आपके नियोक्ता का बीमा होना अनिवार्य है, जिससे कि यदि आपको चोट लगती है तो जिस इलाज की आपको आवश्यकता है वह करवाया जा सके व आय की हानि का मुआवज़ा दिया जा सके। इसे कर्मचारी मुआवज़ा बीमा कहते हैं। यदि आपको चोट लग जाती है तो आपको अपने नियोक्ता के माध्यम से कर्मचारी मुआवज़े की माँग करनी चाहिए। **पता करें कि यह माँग कैसे करते हैं** या 13 10 50 पर फ़ोन करें।

एक निष्पक्ष व न्यायपूर्ण कार्यस्थल का अधिकार

आपको अधिकार है कि काम पर आपको डराया-धमकाया न जाए। कर्मचारियों या कर्मचारियों के समूह को डराया-धमकाया जाना ऐसा व्यवहार है

जो अनुचित है व बार-बार किया जाता है। यदि आपको सही रूप से पता नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो निष्पक्ष व विवेकपूर्ण हो, जिसे विकल्पों का ज्ञान हो व जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। इसमें विश्वनीय सुपरवाईज़र, मैनेजर या मानव संसाधन का प्रतिनिधि (HSR) या हमारी वेबसाईट पर मार्गदशिका **the guide** शामिल हैं। यदि इससे कुछ नहीं होता है तो आप **शिकायत करने के लिए** हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका मानना है कि किसी भेद-भाव के कारण (जैसे कि आपका लिंग, जाति या धर्म) आपको डराया-धमकाया जा रहा है तो यह मानव अधिकारों या समान अवसर क़ानून का उल्लंघन हो सकता है।

आप निम्नलिखित कर सकते हैं:

- **Human Rights Commission** की वेबसाईट पर देखें
- या अपने राज्य या क्षेत्र में **anti-discrimination board** से बात करें

उचित वेतन व छुट्टी पाने का अधिकार

वेतन की दरों के बारे में जानकारी पाने के लिए Fair Work Ombudsman से 13 13 94 पर संपर्क करें। 13 14 50 पर आप दुभाषिए का प्रबंध करने के लिए कह सकते हैं।

काम पर आपकी सुरक्षा संबंधी ज़िम्मेदारियाँ

एक कर्मचारी होने के नाते यह आवश्यक है कि आप अपनी सुरक्षा ठीक से करें और ऐसा कुछ न करें जिससे अन्य कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा पर कोई प्रभाव न हो।

आपके लिए अपने नियोक्ता द्वारा बताए गए स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी निर्देशों को मानना अनिवार्य है। यह महत्वपूर्ण है कि आप:

- यदि आपको स्पष्ट नहीं है कि काम सुरक्षापूर्वक कैसे करना है तो उसके बारे में पूछें
- निर्देशों को मानें व सुरक्षापूर्वक काम करें
- जो स्थितियाँ असुरक्षित व अस्वस्थ हों व चोट लगने पर अपने सुपरवाईज़र को तुरन्त सूचित करें।

याद रखें, HSRs किसी कर्मचारी समूह के स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी मामलों का प्रतिनिधित्व करता है और आपकी ओर से आपके नियोक्ता से बात कर सकता है। यदि आप समूह प्रशिक्षण संगठन या श्रमिक किराए पर रखने वाली एजेन्सी के साथ काम करते हैं तब भी आप स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी समस्याएँ उनको बता सकते हैं।

आपके नियोक्ता के कर्तव्य

आपके नियोक्ता के लिए निम्नलिखित प्रदान करना अनिवार्य है:

- एक सुरक्षित व स्वस्थ कार्यस्थल याद रखें कि स्वास्थ्य में मनोवैज्ञानिक व शारीरिक स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं
- कार्य के सुरक्षित उपकरण, ढ़ाचें व कार्य की व्यवस्था
- कार्यस्थल पर उचित सुविधाएँ व सामग्री
- प्रवेशन जानकारी, प्रशिक्षण व निरीक्षण
- कार्यस्थल पर स्वास्थ्य व सुरक्षा के बारे में बात करने के अवसर।

हम सहायता दे सकते हैं

SafeWork NSW, NSW के कार्य संबंधी स्वास्थ्य व सुरक्षा का नियंत्रक है। हमारी यह ज़िम्मेदारी है कि हम शिक्षित करें, कार्य संबंधी स्वास्थ्य व सुरक्षा क़ानून के पालन को सुनिश्चित करें व NSW में क़ानून को लागू करें।

अधिक जानकारी के लिए 13 10 50 पर फ़ोन करें या **www.safework.nsw.gov.au** पर देखें।

अस्वीकरण

इस प्रकाशन में NSW में कार्य संबंधी स्वास्थ्य व सुरक्षा के नियंत्रण व पालन संबंधी जानकारी हो सकती है। इसमें SafeWork NSW द्वारा प्रशासित क़ानून के अंतर्गत आपके कुछ उत्तरदायित्व शामिल हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने क़ानूनी उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं, आपके लिए आवश्यक है कि आप उचित क़ानून को देखें।

नवीनतम क़ानूनों के बारे में जानकारी NSW क़ानून की वेबसाईट www.legislation.nsw.gov.au पर देखी जा सकती है।

यह तथ्य-पत्र क़ानून का पूरा ब्योरा नहीं देता जो विशेष समस्याओं या किसी एक व्यक्ति पर लागू होता है या क़ानूनी सलाह के बदले में नहीं है। यदि आपको अपनी स्थिति में क़ानून लागू होने के बारे में सहायता चाहिए तो आपको स्वतंत्र क़ानूनी सलाह लेनी चाहिए।

इस सामग्री को बिना बदले निजी, आन्तरिक या ग़ैर-व्यवसायिक उपयोग के लिए प्रदर्शित, प्रिन्ट किया जा सकता है व दुबारा छापा जा सकता है।

Catalogue No. SW08146
SafeWork NSW, 92–100 Donnison Street, Gosford, NSW 2250
Locked Bag 2906, Lisarow, NSW 2252
Customer Experience 13 10 50
Website www.safework.nsw.gov.au
© Copyright SafeWork NSW 1117